XXX-Part-21

1375/14
30/10/2014

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

कमांक **05/25/01/12053/14**

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व. लाल काशी सिंह शैक्षणिक समिति **समिति** जो मकान नं. 22, मोहल्ला बाघेलान टोला ग्राम पनवार बाघेलान पोस्ट पनवार तहसील गोपदबनास जिला सीधी में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 30/10/2014 को पंजीयित की गई है।

दिनांक तीस माह अक्टूबर सन् **2014**

(जे० के० दुबे)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थायें, रीवा संभाग रीवा
समितियों के रजिस्ट्रार

मुद्रा

ATTESTED
29/6/19

Scanned with CamScanner

प्रारूप क्रमांक 1 14/11/2017

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

1. सोसायटी का नाम स्व. लाल काशी सिंह शैक्षणिक समिति होगा।

2. सोसायटी का कार्यालय
(पूर्ण पता भवन क्रमांक सहित) मकान न. 22 मोहल्ला बाघेलान टोला ग्राम-पनवार बाघेलान पोस्ट-पनवार 486661 तहसील गोपदबनास जिला सीधी मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 7354993400 ईमेल आईडी tatacollegesidhimp@gmail.com

3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:

1	मूकबधिर विकलांग समाज से उपेक्षित असहाय एवं निराश्रित बच्चो की शिक्षा स्वास्थ्य पोषण एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु विकलांग आवाशीय विद्यालय का संचालन व बृद्धा आश्रम की स्थापना एवं संचालन करना
2	समाज मे उपेक्षित परित्यकता विधवा तलाक शुदा उत्पीडित एवं असहाय महिलाओं के उत्थान के लिए स्वावलंबन हेतु कार्य योजना बनाकर विभिन्न केन्द्रों के स्थापना एवं संचालन
3	अनुसूचित जाति / जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बहुमूल्य क्षेत्रो में महिलाओं की शिक्षा स्वास्थ्य परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहित कर जन जागरुक बनाना
4	महिलाओ और बच्चो के सामाजिक शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक स्तर को ऊचा उठाना
5	जन-जन तक स्वास्थ्य संबंधित जानकारी कुपोषण स्वच्छ शौचालय पेयजल आदि के संबंध मे जानकारी देना एवं उनसे बचाव के लिए विशेषओ द्वारा स्वास्थ्य शिविरों विज्ञापनों नारा व दीवाल लेखन नुक्कड़ नाटको आदि का आयोजन कर जन-जन तक पहुचाना
6	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो में संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति विद्यालय का संचालन करना
7	सामाजिक संस्कृति व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करना
8	नशा मुक्ति केन्द्रों एवं कुष्ठ आश्रमों की स्थापना करना
9	भारत शासन एवं राज्य शासन के द्वारा प्रदान किये गए जन कल्याणकारी योजनाओं का शिविरों एवं कार्यशाला के द्वारा आयोजन कर जन-जागरुक करना
10	सर्वशिक्षा के अंतर्गत कन्या साक्षरता को प्रोत्साहित करना एवं अप्रवेशी बच्चो को शिक्षा से जोड़ना
11	बाल मजदूरी एवं बाल शोषण के खिलाफ समय-समय पर अभियान चलाकर लोगो को जागरुक करना
12	समाज से दहेज-प्रथा बाल भ्रूण हत्या आदि को रोकने के लिए समय-समय पर विभिन्न तरह के कार्यों के द्वारा लोगो को जागरुक बनाना और इन सब को कम करना
13	शिक्षा के विकाश के लिए विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना
14	महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना

4. समिति के प्रबंध विनियमो द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध "शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम पते तथा धंधों का उल्लेख निम्नांकित है:-

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	डॉ.अंजू सिंह	चिंता प्रताप सिंह	अध्यक्ष	वार्ड क्र.11/75, तिलकनगर, हुजूर, रीवा, Madhya Pradesh	प्रायवेट नौकरी
	रचना			वार्ड क्र.11, उत्तरी करौंदिया,	

ATTESTED

Rachna Singh

2	राजे सिंह	राकेश बहादुर सिंह	सचिव	गोपदबनास, सीधी, Madhya Pradesh	समाज कार्य
3	शिव लाल कोल	जेठू कोल	उपाध्यक्ष	वार्ड क्र.11, ग्राम-टाटा पोस्ट-बदराव गौतमान, सिरमौर, रीवा, Madhya Pradesh	किसान
4	एकता सिंह	मृगेंद्र सिंह	संयुक्त सचिव	वार्ड क्र.02, बीछी रोड चुरहट, चुरहट, सीधी, Madhya Pradesh	गृहकार्य
5	कनक सिंह	कुलदीप सिंह	कोषाध्यक्ष	707 ब्लाक A2, मिलन पिपल्याना, इन्दौर, इन्दौर, Madhya Pradesh	प्रायवेट नौकरी
6	राजेश रावत	सुखपाल रावत	सदस्य	वार्ड-17, अमरवाह, गोपदबनास, सीधी, Madhya Pradesh	डॉयवर
7	अमर वर्मा	राम निहोर वर्मा	सदस्य	वार्ड-16, जमोड़ी सेगरान, गोपदबनास, सीधी, Madhya Pradesh	प्रायवेट नौकरी

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	डॉ.अंजू सिंह , चिंता प्रताप सिंह, वार्ड क्र.11/75, तिलकनगर, हुजूर, रीवा, Madhya Pradesh	
2	रचना राजे सिंह , राकेश बहादुर सिंह, वार्ड क्र.11, उत्तरी करौंदिया, गोपदबनास, सीधी, Madhya Pradesh	Rachna Singh
3	शिव लाल कोल , जेठू कोल, वार्ड क्र.11, ग्राम-टाटा पोस्ट-बदराव गौतमान, सिरमौर, रीवा, Madhya Pradesh	
4	एकता सिंह , मृगेंद्र सिंह, वार्ड क्र.02, बीछी रोड चुरहट, चुरहट, सीधी, Madhya Pradesh	Ekta Singh
5	कनक सिंह , कुलदीप सिंह, 707 ब्लाक A2, मिलन पिपल्याना, इन्दौर, इन्दौर, Madhya Pradesh	
6	राजेश रावत , सुखपाल रावत, वार्ड-17, अमरवाह, गोपदबनास, सीधी, Madhya Pradesh	राजेश रावत
7	अमर वर्मा , राम निहोर वर्मा, वार्ड-16, जमोड़ी सेगरान, गोपदबनास, सीधी, Madhya Pradesh	अमर वर्मा

Rachna Singh

ATTESTED

Scanned with CamScanner

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक
SBIN000615914750510201443719

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Driving License	पहचान पत्र का क्रमांक MP53N20070079886

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पते के लिये Driving License	पते का क्रमांक MP53N20070079886

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

साक्षी:-
हस्ताक्षर :-.................................
साक्षी का नाम :- संतोष सिंह बाघेल पुत्र श्री राजेंद्र सिंह बाघेल
साक्षी का पिता/पति:- -
पूर्ण पता :- ग्राम-पनवार बघेलान पोस्ट-पनवार जिला-सीधी मध्यप्रदेश

(जे० के० दुबे)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा संभाग,रीवा

ATTESTED

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 49AA 488626

आवन के साथ सलग्न

स्व. लाल कामती सिंह शैक्षणिक समिति
मकान न 22 मोहल्ला बघेलान टोला
ग्राम पनवार बघेलान पो० पनवार
तह० गोपद बनास जिला सीधी

पंजीयन क्र 12053 दि० 30/10/14

13/11/14

(जे० के० दुबे)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएँ, रीवा संभाग, रीवा

ATTESTED

147/14
14/11/2014

नियमावली

1.	सोसायटी का नाम स्व. लाल काशी सिंह शैक्षणिक समिति होगा।
2.	सोसायटी का कार्यालय (पूर्ण पता भवन क्रमांक सहित) मकान न. 22 मोहल्ला बाघेलान टोला ग्राम-पनवार बाघेलान पोस्ट-पनवार 486661 तहसील गोपदबनास जिला सीधी मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
4.	**सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगेः**

1	मूकबधिर विकलांग समाज से उपेक्षित असहाय एवं निराश्रित बच्चो की शिक्षा स्वास्थ्य पोषण एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु विकलांग आवाशीय विद्यालय का संचालन व बृद्धा आश्रम की स्थापना एवं संचालन करना
2	समाज में उपेक्षित परित्यकता विधवा तलाक शुदा उत्पीडित एवं असहाय महिलाओं के उत्थान के लिए स्वावलंबन हेतु कार्य योजना बनाकर विभिन्न केन्द्रों के स्थापना एवं संचालन
3	अनुसूचित जाति / जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बहुमूल्य क्षेत्रो में महिलाओं की शिक्षा स्वास्थ्य परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहित कर जनें जागरुक बनाना
4	महिलाओ और बच्चो के सामाजिक शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक स्तर को ऊचा उठाना
5	जन-जन तक स्वास्थ्य संबंधित जानकारी कुपोषण स्वच्छ शौचालय पेयजल आदि के संबंध में जानकारी देना एवं उनसे बचाव के लिए विशेषओ द्वारा स्वास्थ्य शिविरों विज्ञापनों नारा व दीवाल लेखन नुक्कड़ नाटको आदि का आयोजन कर जन-जन तक पहुँचाना
6	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो में संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति विद्यालय का संचालन करना
7	सामाजिक संस्कृति व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करना
8	नशा मुक्ति केन्द्रों एवं कुष्ठ आश्रमों की स्थापना करना
9	भारत शासन एवं राज्य शासन के द्वारा प्रदान किये गए जन कल्याणकारी योजनाओं का शिविरों एवं कार्यशाला के द्वारा आयोजन कर जन-जागरुक करना
10	सर्वशिक्षा के अंतर्गत कन्या साक्षरता को प्रोत्साहित करना एवं अप्रवेशी बच्चो को शिक्षा से जोड़ना
11	बाल मजदूरी एवं बाल शोषण के खिलाफ समय-समय पर अभियान चलाकर लोगो को जागरुक करना
12	समाज से दहेज़-प्रथा बाल भ्रूण हत्या आदि को रोकने के लिए समय-समय पर विभिन्न तरह के कार्यों के द्वारा लोगों को जागरूक बनाना और इन सब को कम करना
13	शिक्षा के विकाश के लिए विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना
14	महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना

5.	**सदस्यता- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगेः-**
	(अ) संरक्षक सदस्यः- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 50000 या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ब) आजीवन सदस्य- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 25000 या अधिक देकर, वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 25000 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।
	(स) साधारण सदस्य- जो व्यक्ति रूपये 100 माह रूपये 1200 प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप मे देगा व साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा, जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया

ATTESTED

Scanned with CamScanner

	आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।
	सम्माननीय सदस्य- संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।
6.	**सदस्यता की प्राप्ति**-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।
7.	**सदस्यों की योग्यता**- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:- 1.आयु 18 वर्ष से कम न हो। 2. भारतीय नागरिक हो। 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो। 4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो।
8.	**सदस्यता की समाप्ति**- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:- 1. मृत्यु हो जाने पर। 2. पागल हो जाने पर। 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर। 4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर। 5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।
9.	**संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-** 1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर 2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर। 3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
10.	**(अ) साधारण सभा**- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा। **(ब)प्रबंधकारिणी सभा**- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी। **(स) विशेष**- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।
11.	**साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना। (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो। (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।
12.	**प्रबंधकारिणी का गठन**- नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा

ATTESTED

Scanned with CamScanner

प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
(1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -2

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाएगी।

15. **अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. **सचिव(मंत्री) के अधिकार-**

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये 5000 व्यय करने का अधिकार होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. **बैंक खाता-** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ओफिस में रहेगी, धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 5000 रहेंगें।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी-** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयो को परीक्षित लेखा भेजेगी।

22. **संशोधन-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/ 3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

23. **विघटन-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/ 5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

Scanned with CamScanner

24.	**सम्पत्ति-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
25.	**पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निष्चित कर सकेगा।
26.	**विवाद-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

हस्ताक्षर अध्यक्ष	हस्ताक्षर सचिव	हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष

विधान की प्रमाणित प्रति

13/11/14

(जे० के० दुबे)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएँ, रीवा संभाग,रीवा

ATTESTED

29/6/18

घनश्याम सिंह
नोटरी
सीधी म.प्र.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH विधान के साथ संलग्न 49AA 488625

स्व० लालकामुनी सिंह शैक्षणिक समिति
मकान नं 22 मोहल्ला बाघेलान रैमपनवार
बाघेलान पो० पनवार तह० गोपद बनास जिला सीधी
पंजीयन क्र० 12053 दि० 30/10/14

B[signature] 13/11/14

(जे० के० दुबे)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थायें, रीवा संभाग, रीवा

निरस्त

ATTESTED
[signature] 29/6/18
घनश्याम सिंह
नोटरी
...कोर्ट, सीधी, म.प्र.